

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी :- दिव्या आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 108/2025

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


अनुवान अनिल बनाम राजस्थान राज्य

निर्णय दिनांक :- 16/06/2025

आदेश


प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/दावा एवं राज पैरोकार तहसीलदार भानीपुरा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शिमला व रेख खोजेर पट्टा गिद्धासर तहसील भानीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 एवं रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 में वर्तमान प्रविष्टि को आज दिनांक 16/06/25 को निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या नया	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	शिमला	369(349)	ठाकरूराम पुत्र सहीराम	अनिल सारण उर्फ ठाकरूराम पुत्र सही राम सारण
2.	रेख खोजेर पट्टा गिद्धासर	87(49)	आनन्द कुमार पुत्र सहीराम	अनिल सारण उर्फ आनन्द कुमार पुत्र सही राम सारण
3.	रेख खोजेर पट्टा रावतसर	135(83)	आनन्द कुमार पुत्र सहीराम	अनिल सारण उर्फ आनन्द कुमार पुत्र सही राम सारण


दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार भानीपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तीन दिवस में किया जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।
2. प्रार्थी श्री/श्रीमती


दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)